

30.10.25

वकील प्रार्थना द्वारा ग्राफर पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थना का मूल वाद नोट पेश के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना जो अनिचित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरंत तकमील होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुलेन्द्रपालप में सुनाया गया।

  
(प्रिया राज)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना